

**International Double Blind Peer Reviewed, Refereed , Indexed , Multilingual-
Multidisciplinary-High Impact Factor-Monthly-Research Journal Related to
Higher Education For all Subject**

ISSN 0974-2832 (Print), E-ISSN- 2320-5474,RNI RAJBIL 2009/29954

SHODH, SAMIKSHA AUR MULYANKAN

MARCH , 2022

Vol-1, ISSUE-03



IMPACT FACTOR-6.115 (SJIF)

Editor in Chief

Dr. Krishan Bir Singh

www.ugcjournal.com

SHODH SAMIKSHA AUR MULYANKAN

1

Editor's Office
A- 215, Moti Nagar,
Street No.7
Queens Road
Jaipur- 302021, Rajasthan,
India

E-Mail:
www.ugcjournal@gmail.com
professor.kbsingh@gmail.com

मुख्य सम्पादक – डॉ. कृष्णबीर सिंह का मानद पद कार्य पूर्णतः अवेतनिक है।
इस शोध पत्रिका के प्रकाशन, सम्पादन मुद्रण में पूर्णतः सावधानी बरती गई है। किसी भी प्रकार की त्रुटि महज मानवीय भूल मानी जाये।
शोध पत्र की समस्त जिम्मेदारी शोधपत्र लेखक की होगी। उक्त जर्नल में प्रकाशन हेतु भेजे गए पेपर सामग्री का सम्पूर्ण नैतिक दायित्व पेपर लेखक का होगा। मुख्य संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, पिअर रिविज्यु मंडल जिम्मेदार नहीं होगा। लेखकों से अनुरोध है किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी न करें।
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर ही होगा।

1. Editing of the research journal is processed without any remittance. **The selection and publication is done after recommendation of Peer Reviewed Team, Refereed and subject expert Team.**
 2. Thoughts, language vision and example in published research paper are entirely of author of research paper. It is not necessary that both editor and editorial board are satisfied by the research paper. **The responsibility of the matter of research paper is entirely of author.**
 3. Along with research paper it is compulsory to sent Membership form and copyright form. Both form can be downloaded from website i.e. **www.ugcjournal.com**
 4. In any Condition if any National/International university denies to accept the research paper published in the journal then it is not the responsibility of Editor, Publisher and Manangement.
 5. Before re-use of published research paper in any manner, it is compulsory to take written acceptance from Chief Editor unless it will be assumed as disobedience of copyright rules.
In case of plagiarism, the entire moral responsibility of the paper material will rest with the author only.
 6. **The entire moral responsibility of the paper material sent for publication in the said journal will be that of the paper author. Chief Editor, Publisher, Printer, Peer Review and Refereed Board will not be responsible.**
- Authors are requested not to do any kind of plagiarism**
7. All the legal undertaking related to this research journal are subjected to be hearable at jaipur jurisdiction only.

EDITORIAL BOARD

Patron

Prof. Kala Nath Shastri

(Rashtrapati Puraskar” For His Contribution To Sanskrit)

Prof. Dr. Alireza Heidari

Full Professor And Academic Tenure, USA

Chief Editor

Dr. Krishan Bir Singh

International Advisory Board

Aacid M. S. Ayoub

Geotechnical Environmental Engineering

Uqbah bin Muhammad Iqbal

Postgraduate Researcher

Badreldin Mohamed Ahmed Abdulrahman

Associate Professor

Dr. Alexander N. LUKIN

Principal Research Scientist & Executive Director

Dr. U. C. Shukla

Chief Librarian and Assistant Professor

Dr. Abd El-Aleem Saad Soliman Desoky

Professor Assistant

Prof. Ubaldo Comite

Lecturer

Moustafa Mohamed Sabry Bakry

Dr Sajid Mahmood

Shameemul Haque

Associate Chief Editor

Ravindrajeet Kaur Arora

S. Bal Murgan

Dr. Sandeep Nadkarni

Dr. A. Karnan

Dr. S.R. Boselin Prabhu

Deepika Vodnala

Dr. Kshitij Shinghal

Christo Ananth

Gopinath Palai

Dr. Neeta Gupta

Dr. Vinita Shukla

Harold Jan R. Terano

Dr Sajid Mahmood

Dr Pavan Mishra

Editor

Dr.H.B.Rathod

Dr. Dharamender Singh Chauhan,UOR,,Jaipur

Dr.Govind Nath Chaudhary-Sanskrit- Bhagalpur

Dr.Naveen Gautam

Dr. Mohini Mehrotra

Dr. Arvind Vikram Singh

Dr. Suresh Singh Rathore

Dr.Kishori Bhagat

Dr.Murari Lal Dayma

Kamalnayan. B. Parmar

Dr.Deepak Sharma

Dr.Sanjay B Gore

Dr. A.karnan

Dr.Amita Verma

Dr . Ity Patni

Dr. Somya Choubey

Dr.Surinder Singh

Dr. Manoj S. Shekhawat,

Dr. Anshul Sharma

Dr. Ramesh Kumar Tandan

S N Joshi

Dr. Sant Ram Vaish

Bindu Chauhan

Dr. Vinod Sen

Dr. Sushila Kumari

Dr Indrani Singh Rai

Dr Abhishek Tiwari

Prof.S.K.Meena

Prof.Praveen Goswami

G Raghavendra Prasad

Dr. Dnyaneshwar Jadhav
Akshey Bhargava
Dr. A. Dinesh Kumar
Dr. Pintu Kumar Maji
Dr Hanan Elzeblawy Hassan
Sandeep Kumar Kar
Dr.R.devi Priya
Dr.P.Thirunavukarasu
Dr. Srijit Biswas
Parul Agarwal
Dr. Preeti Patel
Archana More
Dr. Harish N
Dr. Seema Singh
Dr. Ram Singh Bhati
Dr. Pankaj Gupta
Dr Arvind Sharma
Dr. Ramesh Chandra Pathak

Dr. Ankush Gautam

Dr Markandey Dixit
Dr. Manoj Kumar
Ratko Pavlovi, Phd
Dr.S.Mohan
Dr Ramachandra C G
Dr.Sivakumar Somasundaram
Dr. Sanjeev Kumar
Dr. Padma S Rao
Dr Munish Singh Rana
Dr. Piyush Mani Maurya

Associate Editor

Dr. Yudhvir Redhu
Dr.Kiran B.R
Dr Richard Remedios
Dr. R Arul
Anand Nayyar
Dr . Ekhlaque Ahmad
Dr. Snehangsu Sinha
Dr Niraj Kumar Singh
Sandeep Kataria
Dr Abhishek Shukla

Somesh Kumar Dewangan
Amarendra Kumar Srivastav
Dr K Jayalakshmi
Dilip Kumar Jha

Assistant Editor

Jasvir Singh
Dr.pintu Kumar Maji
Dr. Soumya Mukherjee
Prof Ajay Gadicha
Ashutosh Tiwari
Gyanendra Pratap Singh
Jitendra Singh Goyal
Ashish Jaiswal
Hiten Barman
Dr. Priti Bala Sharma

Subject Expert

Dr. Jitendra Aroliya
Dr. Suresh Singh Rathore
Dr.kishori Bhagat
Dr Mrs Vini Sharma
Ranjan Sarkar
Chiranji Lal Parihar
Dr. Lalit Kumar Sharma
Dr Amit Kumar
Santosh Kumar Jha
Dr . Ekhlaque Ahmad
Naveen Kumar Kakumanu
Dr. Chitra Tanwar
Jyotir Moy Chatterjee
Somesh Kumar Dewangan
Raffi Mohammed
Dr. Sunita Arya
Dr. Ram Singh Bhati
Dr. Janak Singh Meena
Dr. Neha Kalyani

Dr. Rajeev Nayan Singh
Dr. Pankaj Rathore
Dr. Mahendra Parihar
Pradip Kumar Mukhopadhyay
Dr Vijay Gaikwad

Research Paper Reviewer

Dr. BH Kirdak
Amit Tiwari
Dr Dheeraj Negi
Dr. Meeta Shukla

Dr. Ranjana Rawat
Sonia Rathi
Dr. Anand Kumar
Dr. Pardeep Sharma
Anil Kumar
Dr. Deepa Dattatray Kuchekar
Dr Ade Santosh Ramchandra

Guest Editor

Dr. Lalit Kumar Sharma
Dr. Falguni S. Vansia

Chief Advisory Board

Ashok Kumar Nagarajan

Advisory Board

Dr. Naveen Kumar
Manoj Singh Shekhawat
Pranit Maruti Patil
Vishnu Narayan Mishra

मध्यभारत में जनजातीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति देशज राजाओं का दृष्टिकोण



डा.अतुल गुप्ता



विभागाध्यक्ष (सहायक प्राध्यापक) इतिहास, शासकीय महाविद्यालय सेहराई, जिला— अशोकनगर

सामान्य सारांश

भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारत का विस्तार 17°18' उत्तरी अक्षांश से 26°30' उत्तरी अक्षांश तक तथा 74°9' पूर्वी देशान्तर से 84°25' पूर्वी देशान्तर तक है।¹ इस ब्रिटिशकालीन मध्य भारत में सेन्ट्रल इण्डिया एजेन्सी मध्य प्रान्त (सेन्ट्रल प्रोविन्स) एवं बरार तथा बस्तर के क्षेत्र सम्मिलित थे, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरपूर्वी महाराष्ट्र (नागपुर—विदर्भ का क्षेत्र) तक विस्तृत है। उपर्युक्त शोध पत्र में मध्यभारत में हुए जनजातीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति देशज राजाओं के दृष्टिकोण को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की सहायता ली गयी है।

मुख्य शब्द — देशज राजा, सामन्त, जमींदार, जागीरदार, सागर—नर्मदा टेरीटरीज, शंकरशाह, रानी अवंतीवाई, दिल्लीन शाह, राजा महिपाल सिंह गोंड, राजा गंगाधर गोंड, गोंड जमींदार बापूराव, गोंड जमींदार वेंकटराव, राजा वीरनारायण सिंह, टंटया भील, एम.एच ड्यूरेंड, जंगल सत्याग्रह।

भारतीय इतिहास में पाँचवीं—छठवीं शताब्दी से 12 वीं शताब्दी तक समान्तवादी राज्य व्यवस्था का उदभव और विकास माना जाता है। 'सामन्त' एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। इस श्रेणी में अधीनस्थ राजा, राज्य के अधिकारी, स्वयं को समर्पित करने वाले राजा, दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण तथा राज्य के कुछ सम्बन्धी आते हैं। शक्तिशाली नरेश सामन्तों को कुछ भूमि दे देते थे, भूमि प्राप्त करने वाले भू—दाता नरेश को कर पटाया करते थे। राज्य के अधिकारियों व अधीनस्थों को भूमि देने का कारण सिक्के मुद्राओं की कमी भी था।² कालान्तर में ये सामन्ती पद पुस्तेनी हो गया और समय के अनुरूप नाम भी परिवर्तित होकर राजा, जमींदार या जागीरदार हो गया। मूलतः इन देशज राजाओं का विकास ऐसे सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्रों के आस—पास हुआ होगा, जहाँ यातायात की असुविधा के कारण अपना प्रभाव रखना केन्द्रीय शक्ति के लिये असम्भव रहा।

आधुनिक काल में मध्य भारत के अधिकाँश क्षेत्र में राजा, राजा साहब, छोटे सरकार के रूप में विख्यात शासक राजपूत, आदिवासी ही थे। ये पहले स्वतंत्र रूप से तथा बाद में मुगलों मराठों के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करते रहे। ये रामगढ़, गढ़ मण्डला, शाहपुर, सोनाखॉन, राजनाँदगाँव, छुईखदान, खुज्जी, बस्तर, बैतूल, बालाघाट, बड़वानी पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर—नर्मदा

टेरीटरीज के राज्य इत्यादि हैं। इस व्यवस्था में शक्तिशाली राजा अपने अधीनस्थों शासकों से कर लेते थे और ये देशज राजा अपनी स्थानीय प्रजा से कर वसूलते थे। इनमें कई तो उनका शोषण भी करते थे, इन्हें बेगार लेने का अधिकार भी था। कुछ राजा प्रजा के हितों कल्याण के प्रति निरन्तर प्रयासरत रहते थे। लेकिन इनकी संख्या कम ही थी।

सन् 1818 ई. के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात मध्य भारत के मराठा अधिपत्य वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इन्होंने राजा, और स्थानीय जमींदारों से अलग—अलग इकारनामा किया। ये देशज राजा आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे किन्तु बाह्य मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था।

इनमें अधिकाँश राजा आदिवासी को आदिवासी की दृष्टि से देखते थे, मानवीयता की दृष्टि से नहीं। इनके प्रति कभी आदर और सम्मान की भावना नहीं थी, उनके मन में। वे कर्तव्य की बात करते थे और अधिकार देने से कतराते थे। राजाओं के इस दोहरे चरित्र के कारण ये जनजातीय जन भाषा, धन और समाजिक—सांस्कृतिक स्थिति में पिछड़ते गए, दीन—हीन हो गये। ये अपने सामाजिक परिवेश के आधार पर अपनी योग्यताओं और गुणों से परिचित नहीं हो पाये, अपितु उन्हें तथाकथित समृद्ध और सुसंस्कृत के उपहास से अपनी वास्तविकता का बोध हुआ। उपहास की यह स्थिति कालान्तर के प्रतिकार

में परिवर्तित हो गई। हमने जनजातीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति देशज राजाओं के दृष्टिकोण को भलि भौंति समझने के लिए इन्हे दो वर्गों में बाँटा है। प्रथम वर्ग में वे देशज राजा जिन्होंने स्वयं जनजातीय विद्रोहों एवं आन्दोलनों का नेतृत्व किया, भागीदारी की अथवा उन्हें संरक्षण दिया। जबकि द्वितीय वर्ग में उन देशज राजाओं को रखा गया है जिन्होंने इन विद्रोहों का स्वयं के स्तर पर तथा अंग्रेजों की मदद से दमन किया। प्रथम वर्ग में आने वाले देशज राजाओं की गतिविधि से स्वतः ही स्पष्ट है कि उनका जनजातीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है।

कहने का आशय यह है कि ये राजा एक ओर अपना राज्य, मान-सम्मान छिन जाने से दुःखी थे तो दूसरी ओर अपनी प्रजा के दुःख से दुःखी थे। वे उनके हितों की चिन्ता करते थे। गढ़ मण्डला के गोंड राजा शंकरशाह रामगढ़ की रानी अवन्तीबाई, चावरपाठा का डिल्लन शाह, भुटगाँव का राजा महिपाल सिंह गोंड, मानगढ़ का राजा गंगाधर गोंड, मोलमपल्ली का गोंड जमींदार बापूराव, आरपल्ली का गोंड जमींदार वेंकटराव सोनाखान का बिझवार राजा वीरनारायण सिंह इत्यादि द्वारा विद्रोह का नेतृत्व करना इसका प्रमाण है।

इसी प्रकार इस वर्ग में कुछ ऐसे भी देशज राजा रहे हैं जिन्होंने इन विद्रोहों एवं आन्दोलनों में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर सहयोग प्रदान किया। विरदा के टंटया भील एवं बडवानी में धाबाबावड़ी के भीमानायक के विद्रोही कार्यों व निवास की जानकारी होल्कर राजा एवं बडवानी के राणा जसवंत सिंह को होने के बाद भी अंग्रेजों को नहीं दी, अपितु कई अवसरों पर सूचना भिजवाकर उन्हें वहाँ भागने या आगाह करने में मदद की। भीमा को मुंडन इलाके में 77 तीर रखने का हक एवं आदमी रखने के लिए 100 रु. बडवानी दरबार से मिलता था।³ सतपुड़ा क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य की ब्रिटिश पुलिस भीमा से मिल गई थी, इसीलिये उसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं करवाया।

एक अन्य विवरण के अनुसार दिलशेर खान की सहानुभूति होल्कर राजा या कम्पनी सरकार के बजाय क्रांतिकारियों के साथ थी। उसने अपने आचरण से धूर्त अंग्रेजों को भ्रम में रखा और क्रांतिकारियों तक अंग्रेजों की गोपनीयता व रणनीति की सूचनाएं पहुँचा दी। इस पर बड़ी तत्परता पूर्वक 500 क्रांतिकारियों का एक सशक्त दल सुनिश्चित खबर मिलने पर भीकन गाँव में एकत्रित हो गया। यह दल खरगोन के सुरक्षित गोला बारूद को विनष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। बक्सी खुमान सिंह को इसकी जानकारी लगते ही उसने दिलशेर खान को बापस बुलाया लिया।⁴ (24 नवम्बर 1858 के कैप्टन शेखर समीर के पत्र के अनुसार)

निमाड़ अंचल के ही मण्डलेश्वर में सीताराम की विद्रोही गतिविधियों के कारण उसे साथियों सहित पकड़ लिया

गया किन्तु होल्कर महाराजा ने सीताराम सहित सभी विद्रोहियों को मुक्त करा दिया। इस पर इन्दौर के रेजीडेन्ट एम.एच. ड्यूरेंड एवं निमाड़ के अंग्रेज अधिकारी किटिंग ने स्पष्ट आरोप लगाया कि विद्रोहियों को होल्कर महाराज तुकोजीराव द्वितीय ने भड़काया है।⁵ धाबाबावड़ी के भीमा ने बडोद के बहिपटदार को अपने 27 सितम्बर 1858 के पत्र में लिखा था – दंतबाड़ा में लूटपाट करने में अपनी मर्जी से नहीं गया था, जैसा कि आपको संदेह है। मुझे बडवानी के महाराज जसवंत सिंह, बूढ़ गिर बाबा तथा दौलतपुर मामा ने कहा था कि मैं बडवानी रियासत का इलाका छोड़कर अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में लूटपाट करूँ। मैं राजा को नौकर हूँ, और उनकी आज्ञानुसार मैंने कार्य किया है क्षतिपूर्ण की माँग मुझसे नहीं अपितु राजा से करें।⁶

इसी प्रकार बस्तर के मुक्ति संग्राम में माड़िया विद्रोही धुरवाराव ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में राजा भैरवदेव से भी निवेदन किया कि वह गैर कानूनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। भैरवदेव तो वैसा नहीं कर सकें किन्तु विद्रोहियों को उन्होंने पूरी सहायता की। भैरवदेव तो खुलकर सामने नहीं आ सके किन्तु धुरवाराव के नेतृत्व में उसके ताल्लुक की जनता ने अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह कर दिया।⁷

ऐसी ही अनेक घटनाएँ जनजातीय विद्रोहों के दौरान हमें देखने मिलती हैं जिनका नेतृत्व उल्लेख पूर्ववर्ती अध्यायों में किया जा चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये देशज राजा इतने शक्ति सम्पन्न नहीं थे कि वे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जा पाते। लेकिन वे भीतर ही भीतर अंग्रेज साम्राज्य के नाश की हृदय में कामना करते थे। यही वजह है कि इन्होंने खुलकर साथ न देकर अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोहियों के हाथ मजबूत किए। इसके अलावा एक ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी जन अपने राजा को देवता के समान मानते थे। उसकी आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी, तभी तो इन्होंने कैप्टन जे. टी ब्लण्ट को इन्द्रावती नदी पार नहीं करने दी। उन्होंने ब्लण्ट से कहा कि 'जब तक आप लोग भोपालपटनम से परिपत्र प्राप्त नहीं कर लेते, आपको नदी पार नहीं करने दी जायेगी।'

हाँलाकि ब्लण्ट ने कहलवाया कि मराठा शासन से हमें एक पत्र प्राप्त है उसे मैं प्रातःकाल आपके राजा के पास निरीक्षण के लिये भेज दूँगा। ब्लण्ट आगे लिखते हैं कि इस बातचीत के एक घण्टे बाद मुझे पुनः आवाजे सुनाई दी। वे कह रहे थे कि आपको बस्तर में घुसने नहीं दिया जायेगा। अतः सुबह होते ही हम चुप्पी साधकर वापस लौट आये। ब्लण्ट इन्हें सबसे अधिक खूँखार बताता है।⁸ इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि ये गोंड राजधर्म निभाने तथा घुसपैठ रोकने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे।

इसी प्रकार की स्वामी भक्ति अथवा राजा के प्रति चिन्ता के भाव की जानकारी 1876 के विद्रोहों के समय भी मिलती है। राजा भैरवदेव 1 मार्च 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स

का सिरांचा में सम्मान करने के लिए निकले। लेकिन ब्रजपाल में कुलियो ने समान फेंक दिया। इसकी वजह यह थी कि आखिरकार राजा बाहर क्यों जा रहे हैं इनकी अनुपस्थिति में दीवान व मुंशी हम पर अत्याचार करेंगे।⁹ मुरिया जन भलिभाँति समझते थे कि अंग्रेज लोग राजा भैरवदेव को पुनः बस्तर नहीं लौटने देंगे। राजा सदैव के लिये राज्य से बाहर हो जाएंगे। हम पर से ईश्वरीय संरक्षण उठ जायेगा।

द्वितीय वर्ग में आने वाले देशज राजा न केवल अंग्रेज सरकार के पिटटू बने रहे बल्कि आदिवासियों के शोषण एवं विद्रोहों के दमन में अंग्रेजो का साथ भी दिया। बस्तर के डोंगर क्षेत्र में हलवाओं ने अपने वास्तविक शासक अजमेर सिंह के समर्थन में 1774 में विद्रोह किया किन्तु दरियावदेव ने पहले स्वयं विद्रोह का दमन करना चाहा किन्तु, असफल होने पर मराठा और जैपुर स्थित कम्पनी सरकार की मदद से समस्त हलवाओं की हत्या कर दी। इतने भीषण नरसंहार का उदाहरण विश्व में अन्यत्र नहीं मिलता है।¹⁰

सन् 1831 में धार राज्य के भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए धार के राजा ने आउट्रम की मदद माँगी।¹¹ आउट्रम ने आकर अपना पहले का रास्ता अपनाया और धैर्य के साथ उन्हें अपना मित्र बनाया। इस प्रकार अब राजा और प्रजा के बीच वह अपनी पैठ बनाने में सफल हो गया। इससे आउट्रम को अपनी नीति 'काँटे से काँटा निकालना' अर्थात् भीलो के विरुद्ध भील कोर का गठन करने में सहायता मिली।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय नागपुर क्षेत्र से गोंड जमींदार बापूराव व वेंकट राव को पकड़वाने में अहेरी की जमींदारिन ने सहायता की।¹² इसी प्रकार जब सोनाखान के वीर नारायण सिंह ने प्रजाहित में किये गये कार्यों के कारण अंग्रेजो का खुलकर विरोध किया। स्मिथ लिखता है कि इसके कारण यहाँ की जनता भी विद्रोही हो गई थी। लेकिन कंटगी, भुटगाँव एवं बिलाईगढ़ के जमींदारो ने विद्रोह के दमन में अंग्रेज अधिकारी स्मिथ की सहायता की। अपने अधिनस्थ जमींदारो व सहायको के साथ स्मिथ घाटी की पूर्णतः नाकेबन्दी करते हुए 29 नवम्बर को सुबह नीमतल्ला से सोनाखान की ओर रवाना हुआ। रास्ते में 30 नवम्बर को देवरी पहुँचा।

यहाँ का जमींदार महाराज साय रिश्ते में वीरनारायण सिंह का काका लगता था। देवरी के जमींदार की नारायण सिंह से खानदानी दुश्मनी थी। स्मिथ ने भी अवसर का लाभ उठाते हुए इसे अपने हथियार में बेट की तरह इस्तेमाल किया। और ऐसी व्यवस्था की कि वीरनारायण सिंह को सोनाखान के बाहर से कोई भी सहायता न मिल सके। यही से स्मिथ ने 1 दिसम्बर 1857 को सोनाखान पर आक्रमण किया। महाराज साय की फौजो ने स्मिथ के सैनिको को रास्ता दिखाया। ऐसा नहीं है कि वीर नारायण सिंह की कोई तैयारी नहीं थी उसने सोनाखान से सात मील दूर तोपो सहित अंग्रेजी सेना पर आक्रमण की

योजना बनाई थी परन्तु महाराज साय द्वारा धोखा दिये जाने से वह कार्यान्वित नहीं हो सकी। नारायण सिंह पराजय स्वीकार कर आत्म समर्पण कर दिया। उसे फौसी दी गई। महाराज साय को इस गद्दी के बदले पुरुस्कार स्वरूप एक हजार रुपये और सोनाखान की जमींदारी 3 साल के लिए दे दी।¹³

इसी प्रकार लिगांकगिरि तोलुक के एक विवरण के अनुसार बस्तर में मुक्ति संग्राम में माड़िया नायक धुर्वाराव थे। इनका संघर्ष 3 मार्च 1857 को चिन्तलनार में अंग्रेजो से हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार आदिवासियों से कड़ा मुकाबला हुआ, विद्रोह को दबाने के लिए भोपालपट्टनम का जमींदार अंग्रेजी सेना के साथ था।

धुर्वाराव को पकड़ लिया गया फौसी दे दी गई। भोपाल पट्टनम के जमींदार का पुत्र यादोराव धुर्वाराव का सच्चा मित्र था उसने अपने पिता एवं अंग्रेज अधिकारियों से इस कृत्य के लिये बदला लेने का निश्चय किया। उसने विद्रोह कर तैलगा और दोर्ला लोगो की सेना खड़ी की। लेकिन यहाँ यादोराव के पिता ने अपने पुत्र व जनता का साथ नहीं दिया। और यादोराव को बन्दी बनाकर ब्रिटिश सरकार के आदेश पर सन 1860 में भोपालपट्टनम में फौसी दे दी।¹⁴ सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में ऐसा निकृष्ट उदाहरण कहीं नहीं मिलता है।

1876 के मुरिया विद्रोह में मुरियाजनों की प्रमुख माँग थी कि दीवान और मुंशी को रियासत से बाहर निकाला जाय। ये हम पर अत्याचार करते हैं, हमारा शोषण करते राजा भोरमदेव ने इनकी माँग को अनसुना कर दिया। जिसे आदिवासियों ने समझा कि राजा दीवान और मुंशी के कृत्यो का समर्थन कर रहे हैं। फलस्वरूप 2 मार्च 1876 को विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने जगदलपुर को घेर लिया। तब राजा ने 4 मार्च 1876 को विशाखापट्टनम के स्पेशल एजेन्ट को पत्र लिखकर विद्रोह के दमन के लिये सहायता माँगी।¹⁵

मैकजार्ज ने कूटनीतिक तरीका अपनाते हुए विद्रोह का अंत करा दिया। विद्रोह के मूल तत्वों को वह अपने साथ सिरोंचा ले गया। बस्तर के राजा से क्षतिपूर्ण राशि ली। लेकिन यदि राजा भोरमदेव द्वारा मुरिया जन की माँग पहले ही मान ली जाती तो राजा और प्रजा के बीच अंग्रेजो को अपनी धाक जमाने का अवसर नहीं मिल पाता और न ही बस्तर को क्षतिपूर्ण राशि अंग्रेजो को देनी पडती।

इसी संदर्भ में एक अन्य घटना और उल्लेखनीय है, निमाड़ अंचल की अलीराजपुर रियासत में सोखा के पटेल छीतू किराड़ा ने 1881 में वीर नारायण सिंह का अनुसरण करते हुए गोदामो से अनाज लूटकर भूखे भीलो में बाँटा। अलीराजपुर की रानी ने पहले तो छीतू राय को समर्पण करने पर जागीर लालच दिया। छीतू के न मानने पर अंग्रेजी फोज बुलाकर उसे पकड़वा दिया।¹⁶ बिरदा निवासी टण्टया स्थानीय जमींदारो के अत्याचारों के कारण ही विद्रोही बना था। प्रारम्भ में उसका विद्रोह

जमीदारों के विरुद्ध रहा, लेकिन ये जमींदार अंग्रेजों के पिटू थे। ये झुठे मुकदमें चलवाकर आदिवासियों का शोषण करते थे। इससे टण्ट्या इन अंग्रेजों के भी विरुद्ध हो गया था। इसे पकड़वाने में स्थानीय जमींदारों, सामन्तों, पटेलों ने अंग्रेज अधिकारियों का पूर्ण सहयोग किया।¹⁷

इसी तरह बीसवीं सदी के तीसरे दशक में हुए जंगल सत्याग्रह के दमन में भी जमींदारों, पटेलों, एवं राजाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चूंकि ये सत्याग्रह जमींदारों, मालगुजारों के निर्गम व्यवहार, आदिवासियों से कराई जा रही बेगार प्रथा, मनमाने करारोपण एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ था। इसीलिये इन्होंने इसके दमन में ही अपनाहित समझा और अंग्रेज पुलिस के निर्दयतापूर्वक दमन करने में सहयोग दिया।

नवागाँव, तनावट, नवापारा महासमुन्द कोड़िया मोहवना, बालोद, बेमेतरा, बदरा टोला, उदयपुर, ओरधा छतरपुर इत्यादि ऐसे स्थल हैं। अब 24 जनवरी 1939 में हुए बदरा रोला के

जंगल सत्याग्रह को ही लीजिये यहाँ के जमींदार द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध 18 वर्षीय रामधीन गोंड ने जंगल सत्याग्रह किया। इस गाँव रियासत की सशस्त्र पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस रामधीन को बन्दी बनाना चाहती थी लेकिन गाँव वाले सम्मिलित रूप से बन्दी बनाये जाने के पक्ष में थे। पुलिस सत्याग्रह के दमन हेतु पहले लाठी चार्ज और फिर गोली चलाने का आदेश दिया। रामधीन गोंड की टटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।¹⁸

अतः स्पष्ट है कि मध्यभारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति देशज राजाओं का जनजातीय विद्रोहों के प्रति दो प्रकार का दृष्टिकोण रहा है। एक तो वे राजा जो स्वयं विद्रोह के अगुआ बने अथवा विद्रोह को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। दूसरे वे देशज राजा जिन्होंने अपने निहित स्वार्थों के चलते न केवल खुद के स्तर पर विद्रोह व आन्दोलनों का दमन किया बल्कि इस कार्य में वह अंग्रेजों के साथ कदम से कदम मिला कर स्वामी भक्ति दिखाते हुए नजर आये। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ऐसे जयचन्दों से भरा हुआ है।

संदर्भ संकेत :-

- 1 इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, ऑक्सफोर्ड 1908 पर आधारित
- 2 डॉ. रामकुमार बेहार अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शोध संस्थान रायपुर, का साक्षात्कार दिनांक 29.6.2012
- 3 श्रीवास्तव, भगवानदास, जंग ए आजादी में महाकौशल, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, 2008, पृष्ठ क्र. 204
- 4 सक्सेना, सुधीर, मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2007, पृष्ठ क्र. 121-122
- 5 चौमासा लेख - डॉ. शिवनारायण यादव, प्रथम स्वाधीनता संग्राम और निमाड़ के आदिवासी, वर्ष-24 अंक 73 मार्च-जून 2007, भोपाल पृष्ठ क्र. 114
- 6 संधान 5- मध्यांचल में 1857 का विद्रोह और उसमें जनभागीदारी में डॉ. शिवनारायण यादव के लेख से उद्धृत पृष्ठ क्र. 52, डॉ. भगवानदास गुप्त स्मृति शोध संस्थान झांसी-2006
- 7 शुक्ल हीरालाल, बस्तर का मुक्ति संग्राम म. प्र. हि. ग्र. अकादमी भोपाल 2003 पृष्ठ क्र. 213-14
- 8 Blunt J.T, Narrative from a route from Chunarghur to yetnagudud, 1795, Asiatic Researches, Vol. VII. London 1802 page no. 133- 136
- 9 मैकजार्ज एज. जे., रिपोर्ट फारेन डिपार्टमेंट फाइल नं. 163-721, पैरा-24
- 10 शुक्ल हीरालाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्र. 214
- 11 सिंह अयोध्या, भारत का मुक्ति संग्राम, प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली 2001, पृष्ठ क्र. 163
- 12 शुक्ल हीरालाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्र. 125
- 13 मिश्र, डॉ. रमेश नाथ, वीर नारायण सिंह, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 1998 पृष्ठ क्र. 47- 63
- 14 छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्ड्स, पृष्ठ 27 पृष्ठ क्र. 286, 1857 दिनांक 10.12.1857
- 15 कैप्टन सी इस्टाल, एक्टिंग स्पेशल एजेंट का पत्र, फारेन डिपार्टमेंट फाइल नं. 163-172, पृष्ठ क्र. 56
- 16 सक्सेना सुधीर, पूर्वोक्त, पृष्ठ-125
- 17 शोधार्थी का पंधाना तहसील के बिरदा गाँव में निवासरत टंट्या भील के वंशज से साक्षात्कार दिनांक 25.7.2012
- 18 दैनिक देशबंधु, रायपुर, 26 जनवरी 1973, पृष्ठ क्र. 16 एवं मध्यप्रदेश संदेश, 15 अगस्त 1987, पूर्वोक्त, पृष्ठ क्र. अ-142